(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 550–तीन/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2010 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 286/2008–09/निगरानी

.....

अशोक पुत्र स्व0श्यामबाबू
निवासी साबरा पहाड परगना व जिला गुना

..... आवेदक

विरूद्ध

1–सुहागाबाई बेवा पत्नी मंगा, अर्जुन
निवासी चक मुरादपुर परगना व जिला गुना
2–कान्ताबाई बेवा पत्नी बलवीर
3–अनुप पुत्र अर्जुन
4–मुकददर पुत्र अर्जुन
5–दोलीबाई पुत्री अर्जुन
6–अरूणाबाई पुत्री अर्जुन
7–रामोबाई पुत्री अर्जुन
8–सोनिया पुत्री अर्जुन
9–बाबू पुत्र स्व0बलवीर
10–राजा पुत्र स्व0बलवीर
11–संतोष पुत्र स्व0बलवीर
12–सोनू पुत्र स्व0बलवीर
13–राजाबाई पुत्री स्व0बलवीर
14–रेखाबाई पुत्री स्व0बलवीर
15–रचनाबाई पुत्री स्व0बलवीर
निवासी चक मुरादपुर परगना व जिला गुना

.....अनावेदकगण

श्री एस0एल0धाकड़, अभिभाषक– आवेदक
श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 12/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष ग्राम साबरा पहाड़ तहसील व जिला गुना स्थित भूमि सर्वे कमांक 65/2/2 रकबा 2.027 हेक्टेयर पर मृतक भूमिस्वामी अर्जुन के स्थान पर वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 8–7–2008 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि पर वारिसाना नामान्तरण स्वीकृत किया गया तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–6–09 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–3–10 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में साक्षियों से विधिवत् वसीयतनामा प्रमाणित किया गया था, परन्तु उनके द्वारा अनावेदकगण का वारिसाना नामान्तरण स्वीकृत करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है क्योंकि वे मृतक भूमिस्वामी के वैध वारिस नहीं है ।

(2) वैध वारिसों की ग्राम पंचायत तथा उनके रिश्तेदारों से बिना जॉच कराये आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(3) अर्जुन का कोई वारिस नहीं था इसलिये वह आवेदक के साथ रहता था उनकी सेवा तथा मृत्यु उपरांत तेरहवीं आदि आवेदक द्वारा ही की गई है इसी से खुश होकर आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है जिसे नहीं मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

(4) 1999 आरएन 332 में अवधारित किया गया है कि एक सहस्वामी अपने हिस्से की वसीयत कर सकता है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूमिस्वामी द्वारा आवेदक के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक मृतक भूमिस्वामी के परिवार का सदस्य नहीं है और कोई भी व्यक्ति अपनी व पुत्र, पुत्रीयों को छोड़कर अन्य के नाम वसीयत नहीं कर सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया गया है एवं वसीयतनामा को संदेह से परे नहीं मानते हुये वारिसाना नामान्तरण स्वीकृत किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं की गई है और तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा तथ्यों एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप न्यायदृष्टांतों का उल्लेख करते हुये उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थित रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर